रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122022-240888 CG-DL-E-08122022-240888

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5481] No. 5481] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2022/अग्रहायण 17, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2022/AGRAHAYANA 17, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

का.आ. 5717(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 3536, तारीख 29.07.2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 29.07.2022 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-752C के कि.मी. 0+000 से 4+630 कि.मी. तक (जीरापुर से पचोर-रोड) (तहसील-जीरापुर) (अतिरिक्त-बाईपास) के लिए भूखण्ड के निर्माण, (चार लेन का बनाने /चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन **"पीपुल्स** समाचार" में बुधवार 10 अगस्त 2022 और "द पायनियर" में बुधवार 10 अगस्त 2022 को प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है;

8147 GI/2022 (1)

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है; अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्टे प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में राजमार्ग संख्या NH-752C के कि.मी. 0+000 से 4+630 कि.मी.
तक (जीरापुर से पचोर-रोड) (तहसील-जीरापुर) (अतिरिक्त-बाईपास) के लिए भूखण्ड के निर्माण, के लिए अर्जन की जाने
वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का	राज्य का नाम: मध्य प्रदेश जिले का नाम: राजगढ़								
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम				
1	2	3	4	5	6				
	तालुक का नाम: जीरापुर								
	गांव का नाम: जीरापुर								
1	१४१८/१/१	निजी	सिंचित	0.1400000	अयोध्या बाई बेवा भोजराज जाति दांगी पता जीरापुर राजगढ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (१४१८/१/१)				
2	१४१८/१/२	निजी	सिंचित	0.4710000	पुष्पा देवी बेवा विजय सिंह जाति दांगी पता जीरापुर राजगढ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (१४१८/१/२)				
3	१४१८/२/१	निजी	सिंचित	0.1000000	पुष्पा देवी बेवा विजय सिंह जाति दांगी पता जीरापुर राजगढ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (१४१८/२/१)				
4	१४१८/२/२	निजी	सिंचित	0.2000000	सुशीला बाई बेवा नवरतन सिंह जाति दांगी पता जीरापुर राजगढ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (१४१८/२/२)				
5	१४१८/२/३	निजी	सिंचित	0.2080000	गीताबाई बेवा लेखराज सिंह कुशाल सिंह ईश्वर सिंह पिता लेखराज सिंह जाति दांगी पता जीरापुर राजगढ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (१४१८/२/३)				
TOTAL				1.119					

फा. सं. CE-ROBPL/30010/45/2018-19/3D2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

S.O. 5717(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping Road Transport and Highways, Department of Road Transport And Highways number S.O. 3536, dated 29.07.2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (Widening/Four-Laning, etc.) Maintenance, management and operation of NH-752C on the stretch of land from Km. 0+000 to 4+630 km. in (Jirapur to Pachore Road) (Tehsil-Jirapur) (Additional-Bypass) the District of Rajgarh, in the state of MADHYA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Pipuls Samachar" 10 August 2022 Wednesday; And "The Pioneer" 10 August 2022 Wednesday; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received From Any person By The Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the Said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances,

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km. 0+000 to 4+630 km. (Jirapur to Pachore-Road) (Tehsil-Jirapur) (Additional-Bypass) of the NH-752C in the district of Rajgarh, in the state of MADHYA PRADESH.

	State: MADHYA PRADESH District: RAJGARH								
Sl. NO.	Survey Number/ Plot No.	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of Land Owner/Interested Person				
1	2	3	4	5	6				
	Taluk: Jirapur								
	Village: Jirapur								
1	1418/1/1	Private	Irrigated	0.1400000	Ayodhya Bai Widow Bhojraj Caste Dangi Address Jirapur Rajgarh Madhya Pradesh Land Owner 1418/1/1				
2	1418/1/2	Private	Irrigated	0.4710000	Pushpa Devi Widow Vijay Singh Caste Dangi Address Jirapur Rajgarh Madhya Pradesh Land Owner 1418/1/2				
3	1418/2/1	Private	Irrigated	0.1000000	Pushpa Devi Widow Vijay Singh Caste Dangi Address Jirapur Rajgarh Madhya Pradesh Land Owner 1418/2/1				

4	1418/2/2	Private	Irrigated	0.2000000	Sushila Bai Widow Navratan Singh Caste Dangi Address Jirapur Rajgarh Madhya Pradesh Land Owner 1418/2/2
5	1418/2/3	Private	Irrigated	0.2080000	Geetabai Widow Lekhraj Singh Kushal Singh Ishwar Singh Father Lekhraj Singh Caste Dangi Address Jirapur Rajgarh Madhya Pradesh Land Owner 1418/2/3
TOTAL				1.119	

[F. No. CE-ROBPL/30010/45/2018-19/3D2]

RAJESH GUPTA, Director